आरीज

#2024/89 bcms

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

रामकौरी बनाम गोविन्दराम आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 104 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20.03.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 24.04.2024 को पेश हो।	
24.04.2024	कुलाए [illegible] अपरात/PU माह आप [illegible] में पत्र है। पत्रावली [illegible] मस्त [illegible] दिनांक 24.4.2024 को पेश हो	
01.06.2024	वकील वादी ने प्रार्थना पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि वह वाद पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में खारीज करवाना चाहते हैं। अतः वाद पत्र मौजूदा स्थिति में खारीज किया जाता है। पत्रावली दफ्तर के क्रम की जाकर बाद तरमीम व अमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.06.19 18:24:33 IST
Reason: SelfAttested